

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00096/2020-2021

दिनांक 05/06/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/KAN/00373/2020-2021

पत्रावली संख्या: K-34224

दिनांक: 2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्व० राम प्रकाश विद्यावती शिक्षा समिति, ग्राम राजपुर, पोस्ट राजपुर, तहसील सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात, कानपुर देहात, 209115 को दिये गये रजिस्टरीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1607/2004-05 दिनांक-24/03/2005 को दिनांक-24/03/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(PRAVIN KUMAR SRIVASTAVA)
526382C4DD655409891C5D0B07CC2E818EA30850

Date: 05/06/2020 3:11:16 PM, Location: Kanpur.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-05/06/2020

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : स्व० रामप्रकाश विद्यावती शिक्षा समिति ।
2. संस्था का पता : ग्राम-राजपुर, पोस्ट-राजपुर, तहसील-सिकन्दरा, जनपद-कानपुर देहात ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे ।

1. क्षेत्र में जनता का सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक बौद्धिक रचनात्मक, कलात्मक, आर्थिक उन्नति हेतु समुचित प्रयास करना ।
2. संस्था के कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा उत्तरोत्तर विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना करना ।
3. जिसमें वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर क्षेत्र की उन्नति करेगी ।
4. महिला एवं बालविकास विभाग, समाज कल्याण, मानव संसाधन विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को संचालित करना व बालिकाओं व महिलाओं के विद्यालय की स्थापना करना एवं व्यवसायिक शिक्षा सिलाई, कढाई, बुनाई, कास्ट कला, लौहकला, कम्प्यूटर शिक्षा, टाइप शार्टहैण्ड, आदि की शिक्षा देना ।
5. संस्था द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, कवर्ड, नवार्ड, सूड सेल, छूडा, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड स्वास्थ्य विभाग आदि से संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लेना व उन्हे संचालित करना तथा सहायता आदि लेना, दान, अनुदान, चन्दा, ऋण आदि प्राप्त करना ।
6. पर्यावरण सुधार हेतु, नसा मुक्ति हेतु, दहेज विहीन समाज की स्थापना करना एवं सुधार हेतु प्रयास करना ।
7. वे समस्त कार्य करना जो सोसाइटी रजिस्ट्री करण अधिनियम 21 सन् 1860 के अन्तर्गत आते हो एवं नियम 20 की परिधि के हों ।



Om Prakash

मुख्यमन्त्री

मंत्रीभर्तु

सत्य-प्रतिलिपि

Om Prakash

A.P.
संस्थापक, प्रधानमन्त्री
स्व० राम प्रकाश-सोसाइटी इकाई
राजपुर-कानपुर देहात

8. संस्था कार्यक्षेत्र में नारी सुधार गृहों, बृद्धआश्रम, शिशुपालन केन्द्रों, स्वास्थ्य शिविरों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करेगी एवं समाज सेवा का कार्यकरेगी।
9. संस्था श्री आर०पी०पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन में शिक्षा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम डी०एल०एड० / बी०टी०सी०, बी०एल०एड०, बी०एड०, एम०एड०, सहित शिक्षा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम संचालित करना।
10. संस्था द्वारा पाठ्यक्रम बी०ए०, बी०एस०सी०, एम०एस०सी०, ल०० कालेज सहित सभी पाठ्यक्रम संचालित करना।
11. संस्था द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिये हिन्दी, अंग्रेजी, माध्यम में स्कूल संचालित करना।
12. संस्था के उद्देश्यों हेतु छात्रावास, शिक्षकों के लिये क्वार्टर्स, भोजनालय, तथा पुस्तकालय भवनों को बनवाना एवं उचित रख रखाव रखना।
13. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं/विभागों से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। *(Signature)*
14. संस्था के अन्तर्गत निर्धन बच्चों को उच्चस्तरीय परीक्षा आदि में निशुल्क तैयारी कराना।
15. संस्था के अन्तर्गत शासन, प्रशासन की अनुमति से मेडिकल, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग होम, पालीटेक्निक कालेज, डेण्टल कालेज की स्थापना तथा नेत्र शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगवाना।
16. संस्था की उद्देश्य पूर्ति हेतु दान, अनुदान, चन्दा, उपहार एवं अन्य प्रकार का सहयोग व सहयतायें राज्य सरकार व केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों, अनुभागों वित्त एवं विकास निगमों व समान उद्देश्यीय संस्था से प्राप्त करने का प्रयास करना।
17. संस्था द्वारा समर्पित कार्यक्रमों, आयोजनों के प्रचार-प्रसार हेतु जैसे लेख मैगजीन्स, पत्रिकाओं, न्यूजपम्पलेट्स, पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास करना जिससे कि क्षेत्रीय जनता लाभान्वित हो सके।



Dmkw

उच्चस्तरीय-प्रतिलिपि अध्ययन ट्रस्ट

Parmit

वारिका चाहूँवाल
प्राप्ति लिपि अध्ययन ट्रस्ट
बालापुर गोदावरी झज्जर

बन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम जिन्हे स्मृति पत्र एवं नियमावली नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ओमकार गुप्ता	श्री प्रेम नरायण	आर्य समाज मन्दिर के पास औरैया	अध्यक्ष	व्यापार
2	श्री महेश चन्द्र	श्री जगन्नाथ प्रसाद	ग्राम/पोर्ट भरसेन, औरैया	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	श्री अनिल कुमार पोरवाल	स्व० श्री रामप्रकाश पोरवाल	राजपुर कानपुर देहात	प्रबन्धक/संस्थापक	समाजसेवा
4	श्री अशोक कुमार	श्री रामचन्द्र	ग्राम/पोर्ट राजपुर कानपुर देहात	उपप्रबन्धक	व्यापार
5	श्री महेश चन्द्र	श्री द्वारिकाप्रसाद	ककराही बाजार दिवियापुर, औरैया	सदस्य	व्यापार
6	श्री मुन्ना लाल यादव	श्री सुखलाल यादव	ग्राम/पोर्ट सिकन्दरा कानपुर देहात	सदस्य	व्यापार
7	श्री रिपुसूदन सिंह	श्री बब्न सिंह	400 नया राम नगर उरई	सदस्य	शिक्षक

6—हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 21, सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करना चाहते हैं।

दिनांक— 10/05/2015

1. श्री ओमकार गुप्ता आर्य समाज मन्दिर के पास औरैया

2. श्री महेश चन्द्र ग्राम/पोर्ट भरसेन औरैया

3. श्री अनिल कुमार पोरवाल ग्राम/पोर्ट राजपुर कानपुर देहात

4. श्री अशोक कुमार ग्राम/पोर्ट राजपुर कानपुर देहात

5. श्री महेश चन्द्र ककराही बाजार दिवियापुर, औरैया

6. श्री मुन्ना लाल यादव ग्राम/पोर्ट सिकन्दरा कानपुर देहात

7. श्री रिपुसूदन सिंह 400 नया राम नगर उरई

५०

मेरा वापर
मेरा वापर
मेरा वापर
मेरा वापर
मेरा वापर
मेरा वापर
मेरा वापर

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सचिव
संघर्ष चयोग का वर्ष लोकतान्त्रिक कानून
१८८१

Omkar उमाधाम

मेरा वापर

३५

Omkar

नियमावली

1. संस्था का नाम — रव० सम्प्रकाश विधावती शिक्षा समिति
2. संस्था का पता — ग्राम राजपुर पोर्ट राजपुर तहसील सिकन्दरा
जिला कानपुर देहात।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र — समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य — स्मृति पत्र के अनुसार होगे।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग—
1. संस्थापक सदस्यः— संस्था की स्थापना में श्री अनिल कुमार पोरवाल एवं श्रीमती मालती पोरवाल ने अपने चल एवं अचल सम्पत्ति तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया है उन्हीं के सहयोग एवं प्रेरणा से यह संस्था स्थापित की जा रही है अतः यह दोनों आजीवन इस संस्था के संस्थापक सदस्य रहेंगे उनको संस्था की प्राथमिक सदस्यता से कभी बंधित नहीं किया जायेगा। संस्थापक होने के नाते ये मृत होने पर या स्वेच्छा से हट सकेंगे इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्थापकों के बारिस एवं उत्तराधिकारियों में से ही की जायेगी। अन्य से नहीं।
 2. आजीवन सदस्यः— जो व्यक्ति संस्था को 51,000.00 रुपया (इक्यावन हजार रुपया) एक मुश्त देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति अदा करेंगे। वे इस संस्था के आजीवन सदस्य संस्थापकों द्वारा ही बनाए जायेंगे। प्रतिवन्ध यह होगा कि 51,000.00 रुपया देने मात्र से आजीवन सदस्य नहीं होगा, संस्थापकों की रवीकृत अनिवार्य होगी। इसकी संख्या अधिकतम 5 होगी।
 3. साधारण सदस्यः— जो व्यक्ति इस संस्था को 11000.00 (ग्यारह हजार रुपया) या से अधिक एक मुश्त देंगे वे इस संस्था के पांच वर्ष के लिए साधारण सदस्य बताए जायेंगे संस्थापक सदस्यों के माध्यम से ही सदस्य बन सकेंगे इन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
 4. विशेष आमंत्रित सदस्यः— कार्यकारणी ऐसे प्रमुख समाज सेवी या विद्वान एवं सूखोंग लगित को जिसका गोपनान संस्था दिता पै तो उन्हें वैठकों में बैला सकते हैं इन्हें मनोनीति करने का अधिकार संस्थापक सदस्यों को होगा। विशेष आमंत्रित सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6. सादस्यता की रामापितः— मृत्यु होने पर, पागल या दिवालियों होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर, निर्धारित सादस्यता शुल्क न देने पर, सादस्यता से त्यागपत्र देने पर, संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने व उनके विलक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारा होने पर तथा लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

7. संस्था के अंग :—

संस्था के दो अंग होंगे।

1. साधारण समा

2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण समा :—

1. गठन — साधारण समा का गठन सभी प्रकार के सादस्यों द्वारा मिलकर माना जायेगा। जिसका निर्वाचन अधिकारी प्रबन्धक होगा।

2. बैठके — साधारण समा की सामान्य बैठके वर्ष में दो बार तथा आवश्यक बैठके आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है। बैठके प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी।

रूचना अवधि— सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा आवश्यक बैठक 5 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

3. गणपूर्ति — साधारण समा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कोरम 1/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तभी गणपूर्ति मान्य होगी। किन्तु स्थगित बैठकों के लिए कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा। परन्तु स्थान एवं विषय पूर्ववत ही होंगे।

4. विशेष वार्षिक अधियेशन की रिप्रिभि— साधारण समा का वार्षिक अधियेशन प्रबन्धक द्वारा निर्धारित तिथियों पर होगा।

5. साधारण समा के अधिकार एवं कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना, वार्षिक बजट पास करना, दान, अनुदान चन्द्रा आदि लेना, अविश्वास प्रस्ताव पारा करना। कार्यकारिणी में पारित नियमों आदि की रवीकृत देना।

टिप्पणी— लांस्ट्रापफ प्रबन्धक नहीं विलक्ष अविश्वास वास्तव नहीं होगा।

6. प्रबन्धक कारिणी समिति—

अ— गठन— प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण समा के सदस्यों द्वारा ही प्रबन्धक

करा-प्रतिलिपि द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धक की वाक्यावधिकारिणी सदस्यों नहीं होती है।

इसारो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उप प्रबन्धक, एवं शेष तीन सदस्य इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति की संख्या 7 है। आवशकतानुसार नियमानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। जिसमें पदेन सदस्य विद्यालय के कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षाप्रत्तर कर्मचारी भी समिलित किये जा सकते हैं। प्रबन्ध समिति की संख्या कभी भी 11 से अधिक नहीं होगी। संस्था के संस्थापकों सदस्यों में प्रबन्धक पद का निवाचन होगा अन्य रो नहीं।

ब— बैठक— प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठक वर्ष में एकबार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

स— सूचना अवधि— प्रबन्ध कारिणी की सामान्य बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक 24 घण्टे पूर्व सूचना देनी होगी।

द— मण पूर्ति— सभी प्रकार की बैठकोंके लिए कोरम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति पर मान्य होगा। परन्तु स्थगित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा। परन्तु रथान एवं विषय पूर्ववत होगे।

स— रिक्त रथानों की पूर्ति— प्रबन्धकारिणी समिति में रथान रिक्त होने पर शेष कार्यकाल के लिये उस रथान की पूर्ति बैठक द्वारा की जायेगी।

र— प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य— दान अनुदान, चंदा, ऋण आदि प्राप्त करना विद्यालय संचालित करना, वार्षिक बजट तैयार करना, कार्यवाही लिखना, लिखाना, विद्यालयों की देखरेख करना, सामान्य प्रशासन बनाये रखना, सभी विभागों से सम्पर्क स्थापित करना एवं उददेश्य पूर्ति हेतु सजग रहना।

य— कार्यकाल— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आवशकतानुसार विशेष प्रसिद्धियोंमें 5 माह के लिये कदाचार्या जा सकता है। एवं विशेष प्रसिद्धियोंमें प्रबन्धक द्वारा प्रबन्धकारिणी मंडल कर शेष कार्यकाल के लिये प्रबन्धकारिणी समिति का मुनाफ़ा दिन किया जायेगा।

10— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—

1. अध्यक्ष— सभी प्रकार के बैठकों की अध्यात्मा करना, समान मत आने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना एवं प्रबन्धक का सहयोग करना।
2. उपाध्यक्ष— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों को करना एवं समय—समय पर उनकी मदद करना।
3. प्रबन्धक— संस्था में राबसे महत्वपूर्ण पद प्रबन्धक का है विद्यालयों का

संचालन करना, उनकी सभी प्रकार की देख रेख करना, प्रबन्धकारिणी का चयन करना, दान, अनुदान, चंदा, ऋण आदि प्राप्त करना, मान्यता, सम्बद्धता, अनापत्ति आदि का प्रयोग करना, अदालती कार्यवाही करना, वैक खातों का संचालन करना, कर्मचारियों की सेवा पुरितका, सेवा नियमावली चरित्र पंजिका आदि की प्रविष्ट करना, विद्यालय सम्बन्धी सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी करना, कर्मचारियों की नियुक्ति विमुक्ति आदि का अवकाश स्वीकृत करना, सभी प्रकार की बैठकों को बुलाना कार्यवाहियों लिपिबद्ध करना, करना, विलो, बाचवरों आदि को पास कर भुगतान करना, समस्त अभिलेख सुरक्षित रखना।

4. उपप्रबन्धक— प्रबन्धक के कार्यों में राहयोग करना एवं प्रबन्ध के निर्देशानुसार बताये हुये कार्यों को करना।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया — संस्था अपने नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन आदि साधारण सभा की बैठकों में 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर सकेंगे। पारित प्रस्ताव रजिस्टर कार्यालय से पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।

12. संस्था को कोष— संस्था का समस्त कोष किसी भी वैक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खेलकर जमा किया जायेगा। संस्था के उक्त खोले गये खाते का संचालन/आहरण प्रबन्धक एवं उपप्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों के खाते प्रबन्धक द्वारा विद्यालय के नियमों के अन्तर्गत या शिक्षा राहित के अन्तर्गत संचालित /आहरित होंगे। उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय, सांसदो, विधायकों व अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय, सांसदो विधायकों व अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान, चंदा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी तथा सदस्यों से सदस्यता शुल्क व दान व चंदा आदि प्राप्त करेगी।

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण— (आडिट) संस्था अपने आप व्यय के लेखों का परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर करवायेगी जिसे संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा नियुक्ति किसी आडीटर से अथवा अन्य व्यक्ति से करवायेगी।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन दायित्व— संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व प्रबन्धक पर ही होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर ।

15. संस्था के अभिलेख —

1. संस्थाता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. सूचना रजिस्टर
4. कैश बुक
5. स्टाक रजिस्टर एवं लेजर आदि होंगे ।

16. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही —संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत किये जायेंगे ।

11/3/05

सत्य प्रतिलिपि

माननीय प्रमुख

Onkar

S. Somal

माननीय प्रमुख



कर्म-प्रतिलिपि

कुलतालप चडा S. Somal
मुख्यमन्त्री